न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–36 / 2025

1. तेज सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

बनाम

–अपीलान्ट

1. पारूल पुत्र शेखावत पुत्री जयसिंह जाति राजपूत निवासी खोटिया तहसील रामगढ़ शेखवाटी जिला सीकर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नाहर तहसील नोहर।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1

निर्णय दिनांकः– 22.04.2026

अपीलांट तेज सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी भनाई तहसील भादरा द्वारा नामान्तरण सं. 2462 / 21 स्वीकृत आदेश दिनांक 22.11.2021 रोही मौजा भनाई को अपास्त करवाने बाबत अपील पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलाधीन नामान्तरण सं. 2462 दिनांक 22.11.2021 रोही मौजा भनाई तहसील भादरा के ख.न. 360 की 9.3200 हैक्टर भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम 1529 / 4660 हिस्सा बअदालत तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा द्वारा दर्ज किया गया, विधि की अवहेलना में एक पक्षीय तौर से पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

2. रोही मौजा भनाई तहसील भादरा के खाता सं. 307 / 57 के ख.न. 360 की 9.3200 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि है जो वर्तमान में जमाबन्दी में पारूल शेखावत 1529 / 4660 हिस्सा सुखवीर का 31[illegible] / 9320 हिस्सा, सत्यवान का 31312 / 9320 हिस्सा भूमि दर्ज है। उक्त भूमि अपीलान्ट के पि[illegible] के समय की है दस्तावेजात की नकलें लेने पर प्रार्थी [illegible] अधिकार फतेहसिंह की बजाए भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली व 6.[illegible] हैक्टर भूमि कुरड़ाराम को विक्रय कर दी है, जिसका इन्तकाल उसके नाम दर्ज हो गया। महावीर सिंह ने शेष भूमि 3.058 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दान पत्र दिनांक 26.10.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

को अपनी दोहिती रेस्पोडेन्ट को दे दी, जिसके नाम अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज हो गया। वाद भूमि में महावीर मात्र 1/3 हिस्सा का हकदार था। अपीलान्ट व महावीर के मध्य दिनांक 17.03.1998 को पारिवारिक समझौता की लिखा पढ़ी हुई। जिसमें उक्त भूमि के इन्द्रसिंह, महावीर व तेजसिंह ब.हि.ब. के हकदार है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट की कब्जा काश्त है। महावीर के दान पत्र कपट पूर्वक पारिवारिक समझौता दिनांक 17.03.1998 की अवहेलना में करवाया है जो शुन्य एवं प्रभावहीन है, जो इग्नोर किये जाने योग्य है। मातहत अदालत ने शुन्य एव प्रभावहीन दस्तावेज के विरूद्व व पारिवारिक समझौता दिनांक 17.03.1998 की अवहेलना में अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया है, जो अपास्तनीय है।

3. रोही मौजा भनाई तहसील भादरा के ख.न. 360 की 9.3200 हैक्टर भूमि बारानी खातेदारी भूमि स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में 1529/4660 हिस्सा भूमि का दान की गई जो महावीर द्वारा करवाई गई सुखवीर का 3131/9320 हिस्सा, सत्यवान का 3131/9320 हिस्सा भूमि को कुरडाराम ने बैचान किया। कुरड़ाराम को महावीर को बैचान किया। महावीर के बिना अधिकार फतेहसिंह के बजाय भूमि अपने नाम दर्ज करवाली व 6.262 हैक्टर भूमि कुरड़ाराम को विक्रय कर दी। महावीर ने शेष भूमि 3.058 हैक्टर भूमि दान पत्र दिनांक 26.10.2021 को अपनी दोहिती पारूल शेखावत रेस्पोडेन्ट को दे दी, जिसका रेस्पोडेन्ट को अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज हो गया। महावीर मुताबिक समझौता 1/3 हिस्सा, का ही हकदार था, उसने पारिवारिक समझौता दिनांक 17.03.1998 के अनुसार महावीर केवल 1/3 हिस्सा का यानि 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि का ही खातेदार काश्तकार है। शेष भूमि के इन्द्रसिंह व अपीलान्ट ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार थे। मातहत अदालत ने उपरोक्त पारिवारिक समझौता दिनांक 17.03.1998 के विरूद्व अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया है, जो अपास्तनीय है ।

4. महावीर द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में करवाया गया दान पत्र का पारिवारिक समझौता के विरूद्व था महावीर ने स्वंय ने स्टाम्प खरीद कर राजीनामा तहरीर करवाकर अपने हस्ताक्षर किये थे तथा वही राजीनामा की रु से [illegible] एक काश्तकार के पक्ष राजीनामा से दूसरे काश्तकार के पक्ष में अपना हक [illegible] Relase कर सकता है। यह कानूनी उपबन्ध है। इ[illegible] शुन्य एवं बेअसर है क्योंकि महावीर को 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि भूमि ही हिस्से [illegible] समझौता से आती थी। ख.न. 360 की 9.3200 हैक्टर भूमि में महावीर का 1/3 हिस्सा ही था उसे अपने हिस्से से अधिक भूमि कुरडाराम को बैचान कर दी अर्थात ख.नं. 360 की 9.320 हैक्टर भूमि में 6.262 हैक्टर कुरडाराम पुत्र मामराज को विक्रय कर दिनांक 10.06.2010 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:28 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

बैचाननामा करवा दिया था। इसलिए महावीर का समझौता दिनाक 17.03.1998 के अनुसार कोई हिस्सा शेष नही रहा था। रेस्पोडेट का अपीलान्ट का हिस्सा का दान पत्र करवाया है। जो प्रारम्भतः ही शुन्य व अप्रावी है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण अपास्तनीय है।

5. रोही मौजा भनाई तहसील भादरा के ख.नं. 360 की 12.06 बीघा भूमि का कब्जा काश्त हमेशा अपीलान्ट के पास रहा है तथा वर्तमान में भी कब्ज काश्त है दान पत्र में प्रथम शर्त दान पत्र के साथ कब्जा काश्त दिया जाना होता है। अन्यथा शुन्य होता है बिना कब्जे का परिदान किये दान का कोई कानूनी महत्व नही होता है वाद भूमि पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नही रहा है मातहत अदालत के कब्जा काश्त की जॉच किये बिना है अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया है, जो अपास्तनीय है।

6. अपीलान्ट पारिवारिक समझौता दिनांक 17.03.1998 के अनुसार 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार था तथा ख.न. 360 की तादादी 9. 3200 हैक्टर भूमि में महावीर का 3.1066 हिस्सा भूमि का ही खातेदर था उसने हक व हिस्सा से अधिक भूमि महावीर पुत्र फतेहसिंह ने 6.262 हैक्टर भूमि अर्थात दुगना हिस्सा कुरड़ाराम को बैचान किया शेष 3.058 हैक्टर भूमि का अपनी दोहिती को दान पत्र करवा दिया जबकि महावीर 3.1066 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार था तथा पारिवारिक समझौता दिनांक 17.03.1998 से महावीर Estoplled था समझौता की अवहेलना में अपीलान्ट की भूमि का दान पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में दिनांक 26.10.2021 को करवा दिया मुताबिक समझौता ख.नं. 360 में अपीलान्ट 3.1066 हैक्टर भूमि का खातेदार था अपीलाधीन नामान्तरण दस्तावेज पारिवारिक समझौता दिनांक 17.03. 1998 की अवहेलना में व बिना किसी अधिकार के दान पत्र, जो प्रारम्भतः ही शुन्य है, के आधार पर अपीलाधीन नामान्तण दर्ज किया है, जिससे अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है क्योकि अपीलान्ट की भूमि ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज की गई है इसलिए अपीलान्ट धारा 96 सीपीसी के तहत बतौर तृतीय पक्षकार अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर रहा है।

7. अपीलाधीन नामान्तरण आदेश सख्या 2462 दिनांक [illegible] रोही मौजा ख.नं. 360 की 1529/4460 हिस्सा जो रेस्पोडेन्ट [illegible] जबकि उक्त भूमि में अपीलान्ट 3.1066 हैक्टर भूमि [illegible] सं. 1 के नाम भूमि गलत दर्ज की गई है तथा अनुचित तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. [illegible] ने अपना नाम दर्ज करवाया है अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करवाने से पूर्व अपीलान्ट व इन्द्रसिंह को कोई नोटिस अथवा सूचना नही दी गई उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरण का दिनांक 09.04.25 को पता चला, जिस पर रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:28 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

1 को अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन नामान्तरण समझौता दिनांक 17.03.1998 के विरूद्व करवाने पर निरस्त करवाने का का कहा जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 कुछ दिन नामान्तरण निरस्त कराने का भरोषा दिलाया आखिकर दिनांक 18.06.2025 को बमुकाम भनाई तहसील भादरा कतई इन्कार हो गई जिस पर दिांक 19.06.2025 को प्रमाणित प्रति नामान्तरण ली गई ज्ञान से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद है।

8. अपीलाधीन नामान्तरण एक पक्षीय गैर कानूनी ढंग से नैसर्गिक न्याय के विरूद्व पारित किया गया है तथा बिना किसी सुनवाई के किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरण से पूर्व किसी भी पक्षकार को नोटिस नही दिया गया है। उन्हें जवाब देही साक्ष्य का समुचित अवसर नही दिया गया इसलिए अपीलाधी नामान्तरण अपारतनीय है।

9. अपील अपीलान्ट न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है व अन्दर मियाद है तथ मुर्करर न्याय शुल्क पर तहरीर कर प्रस्तुत है।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या– 01 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 अधीनस्थ न्यायालय से अपिलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा भनाई तहसील भादरा के ख.नं0 360 की 9.3200 हैक्टर भूमि बारानी खातेदारी भूमि अपीलांट अपीलान्ट के पिता फतेहसिंह नाम से दर्ज थी। उक्त भूमि के इन्द्रसिंह, महावीर व तेजसिंह ब.हि.ब. 1/3 –1/3 हिस्सा के हकदार है। लेकिन फतेहसिंह के भूमि को अकेले महावीर सिंह ने अपने नाम करवा ली। तीनो भाईयों के ब.हि.ब. 1/3 –1/3 हिस्सा होनें के बावजूद अपीलांट के नाम गलत हिस्सा दर्ज हो गया, जिसका फायदा उठाकर कुल भूमि में से महावीर सिंह द्वारा 12 बीघा 6 बीस्वा भूमि कुरड़ाराम को बैय कर दी लेकिन स्वंय द्वारा गलत हिस्सा दर्ज होनें बाबत लिखित में समझौता किया हुआ था। महावीर सिंह अपने हिस्से की भूमि बैय कर चूका है फिर भी अपने दौहिती के नाम भूमि का दानपात्र कर दिया, जो भूमि महावीरसिंह की थी ही नहीं। दानपात्र का नामान्तरण अपीलांट व अन्य पक्षकारान को बिना सुनवाई [illegible] दिया गया। अतः नामानन्तण संख्या 2462 दिनांक 22.11.2021 गलत [illegible] कि[illegible]या है, को अपास्त कर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:28 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि [illegible]हावीर सिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि का दानपात्र अपने दोहिती के नाम करवाया गया है। दानपात्र आज भी प्रभावी एंव वैध है। अपीलांट अपील की आड़ में नामान्तरण संख्या 2462 दिनांक 22.11.2021 को खारिज करवाना चाहता है। यदि दानपात्र गलत है तो दानपात्र को सिविल न्यायालय में

कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

चुनौती क्यों नहीं दी गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा दानपात्र के आधार पर तस्दीक नामान्तरण संख्या 2462 दिनांक 22.11.2021 सही है एंव नियमानुसार है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो के अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामानतरण दर्ज करते समय सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा नामान्तरण संख्या 2462 दिनांक 22.11.2021 को तस्दीक करते समय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 2462 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 22/4/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:28 IST
Reason: SelfAttested